



2026:AHC:37838

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या-5848/2026

छेदी प्रसाद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: प्रदीप कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: पंकज कुमार गुप्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. ग्राम सभा द्वारा दिनांक 30.06.2025 को पारित संकल्प/आदेश से व्यथित होकर, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को मत्स्य पालन अधिकार दिए गए हैं, याचिकाकर्ता ने यह याचिका प्रस्तुत की है।
2. आज इस मामले पर सुनवाई हुई, तो प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि उपयुक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 59 के अंतर्गत अधिकारियों से संपर्क करने का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।
3. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 59 के अंतर्गत अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ, याचिका को आगे न बढ़ाने के कारण निस्तारित करने की प्रार्थना की है।
4. तदनुसार, याचिका को प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता के साथ आगे न बढ़ाने के कारण निस्तारित किया जाता है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”